(10—19 years) and elderly population (65 years and above) as on 1st March, 1998 have been estimated to be 213.8 million and 42.2 million respesctively.

(b) One of the primary objectives of the Ninth Plan is to generate greater productive employment in the growth process itself by concentrating on sectors, sub-sectors and technologies which are more labour itensive in regions characterised by higher rates of unemployment and under employment.

(c) The schemes currently providing social and financial security to elderly people include old age pension provided by State Governments and under National Social Assistance Programme (NSAP), contributory and non-contributory provident funds. Health care to the elderly is provided through existing network of primary, secondary and tertiary health care institutions. During Ninth Five-Year Plan the coverage under all these will be further improved.

उत्तर प्रदेश में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम०पी०एल०ए०डी०एस०) के लिए स्वीकृत धनराशि

1364. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सांसद को "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" के अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) 31 मार्च, 1998 तक इनमें से प्रत्येक संसद-सदस्य द्वारा कितनी राशि खर्च की गई और कितनी राशि शेष है;

(ग) लोक सभा चुनाव हार चुके संसद-सदस्य तथा ऐसे संसद सदस्य जो राज्य सभा के सदस्य नहीं हैं उनके पास पड़ी बकाया राशि का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा; और

(घ) 30 जून, 1998 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों (जो चुनाव हार चुके हैं अथवा सेवा निवृत हो गए हैं) के पास बची बकाया राशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) 1995-96 और 1996-97 के प्रत्येक वर्ष में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। उत्तर प्रदेश में 30.11.1998 तक वर्ष 1997-98 के लिए 50-50 लाख रुपए की पहली और दूसरी किश्तें क्रमशः 119 और 102 संसद सदस्यों के वास्ते अवमुक्त की जा चुकी है।

(ख) 31.3.1998 तक उत्तर प्रदेश राज्य के संसद सदस्यों के संबंध में रिपोर्ट किए गए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा "अनुपत्र" में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 185 अनुपत्र सं० 38]।

(ग) और (घ) संसद सदस्य के बदल जाने के मामले में संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की अधिशेष निधियों के उपयोग की प्रक्रिया संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 3.9 में निर्धारित की गई। उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रतियां सभी संसद सदस्यों को परिचालित कर दी गई हैं।

Allotments from MPLADS for Private Organisations

1365. SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many of the M.P. Local Area Development Scheme are being allotted to private colleges recognised by the UGC, private youth and women organisation etc. which are recognised by Government for the construction of Community Halls, buildings etc.; and

(b) the extent of such allotments made by M.Ps and accepted by the Local Government authorities in Srikakulam District of Andhra Pradesh?